उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(COVID-19 CELL)

—आदेश—

(सैनेटाईजर कोषांग)

COVID-19
MOST URGENT

COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 561 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा हैण्ड सैनेटाइजर के अधिकाधिक उत्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। हजारीबाग जिला में हैण्ड सैनेटाइजर का अधिकाधिक उत्पादन एवं उसके सुव्यवस्थित वितरण के लिए सैनेटाइजर कोषांग का गठन किया जाता है।

उक्त कोषांग के वरीय प्रभार में **श्रीमती समीरा एस0, सहायक समाहर्त्ता, हजारीबाग** रहेंगी तथा इसमें निम्न रूप में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है:—

1. डा0 कृष्ण कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग,
2. सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग।
3. औषधि निरीक्षक, हजारीबाग।
4. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी, हजारीबाग,
5. असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग, द्वारा प्रतिनियुक्त एक Chemist.

उक्त कोषांग द्वारा निम्न कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा:—

- हजारीबाग जिला के सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों/सभी कर्मियों के लिए सैनिटाईजर की आवश्यकता का आकलन कर सैनेटाइजर की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित कराना।
- प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वय समिति को एवं थाना स्तर पर थाना प्रभारी को आवश्यकता के आधार पर सैनेटाइजर उपलब्ध कराना।
- सभी चयनित Quarantine स्थलों एवं Isolation केन्द्रों को sanitize कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराना।
- सभी कार्यरत कार्यालयों में सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- आवश्यकतानुसार अधियाचना पर संबंधित कार्यालयों को सैनेटाइजर उपलब्ध कराना।

सैनेटाईज कोषांग किए गए कार्यों से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन **COVID-19 CELL** , हजारीबाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार—सह—अध्यक्ष,
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग

ज्ञापांक 1009 / COVID हजारीबाग, दिनांक— 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:— सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:— अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:— अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:— पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार—सह—अध्यक्ष,
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग

पत्रांक :— 01/नीति—05—01/2020— **561**
झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

प्रेषक,

राहुल शर्मा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

रॉंची, दिनांक..**21.03.2020**

विषय :— राज्य में हैण्ड सैनेटाइजर के अधिकाधिक उत्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :— मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार के पत्रांक 061/2/2020-C.A.V दिनांक 19.03.2020 एवं मुख्य सचिव, झारखंड, रॉंची का गैर स0 प्रे0 संख्या 1643 दिनांक 20.03.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि देश में कोरोना वाइरस के संक्रमण की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कई रक्षात्मक कदम उठाने का निदेश है। इसी क्रम में भारत सरकार के पत्रांक 061 दिनांक 19.03.2020 द्वारा राज्य में हैण्ड सैनेटाइजर के अधिकाधिक उत्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश निर्गत किया गया है।

उक्त के अनुपालन में निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है :—

i. किसी भी व्यक्ति द्वारा इथाईल अल्कोहल से हैण्ड सैनेटाइजर के उत्पादन हेतु M&TP एवंआवश्यक अधिनियमों के तहत अनुज्ञप्ति की मांग करने की स्थिति में उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

ii. उपरोक्त के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त हैण्ड सैनेटाइजर उत्पादक को पारक के अधीन प्रतिष्ठान की धार्य क्षमता के अनुरूप बिना विलंब के इथाईल अल्कोहल की आपूर्त्ति सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही इन उत्पादकों हेतु अगले आदेश तक इथाईल अल्कोहल के कोटा के प्रतिबंध को क्षांत किया जाय।

iii. अपने जिलान्तर्गत सभी हैण्ड सैनेटाइजर उत्पादक को उनके अधिकतम उत्पादन क्षमता का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक तीनों शिफ्ट में हैण्ड सैनेटाइजर का उत्पादन करने का निदेश दें। इसके लिए उन्हें अपने स्तर से प्रोत्साहित करें।

2. अतएव निदेश है कि उक्त बिन्दुओं का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 — यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राहुल शर्मा)
सरकार के सचिव।

Rakesh/M.B.